रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09082023-247944
SG-DL-E-09082023-247944

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2023/श्रावण 16, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 180
No. 245]	DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2023/SHRAVANA 16, 1945	[N. C. T. D. No. 180

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2023

सं0फा0 11(57)/प्रशा0/वि0 न्याय एवं वि0 कार्य/18/8179—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना जीएसआर 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II)''के पद की भर्ती पद्वति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को '' स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II)''भर्ती नियम, 2023 कहा जाए।
   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यता इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:— इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक अथवा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (ग्रेड—II)
2.	पदों की संख्या	:	01* (2023) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स के स्तर—4, (25500—81100/—रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	**पदोन्नति** :— ग्रेड में 08 (आठ) वर्षों की नियमित सेवा सहित स्तर—2 (19900—63,200/—रुपये) में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) तथा उसने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टीप**—जिन कनिष्ठों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जो ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके हैं। प्रतिनियुक्ति :— केन्द्र सरकार /राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी, अथवा (ii) वेतन स्तर—2 (19000—63200 रूपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत 08 वर्षों की सेवा सहित । तथा ख (I) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसैंस होना ।

			(II) मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में छोटी विकृतिओं को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)। (III) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। (IV) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ; तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	पदोन्नति पर विचारार्थ समूह ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0)– अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग के प्रमुख –सदस्य 3. उप–सचिव (श0वि0) –सदस्य **टीप** :–यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थाईकरण पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रमेश कुमार, उप सचिव (प्रशा.)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 7th August, 2023

No. F. 11(57)/Admn/LJ&LA/18/8179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification GSR 840 dated 13th July, 1959, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of "STAFF CAR DRIVER (GRADE-II)" in the Law, Justice and Legislative Affairs Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement** – (i) These rules may be called "Staff Car Driver (Grade-II)" Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, classification and Level in the Pay Matrix** – The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification, etc..** – The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications** – No person, -

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post;

   Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax** – Where the Government is of the opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	**Name of the post**	**STAFF CAR DRIVER (GRADE-II)**
2	No. of post	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service Group "C" Non- Gazetted, Non Ministerial
4	Pay Band and Grade pay/ Pay Scale	Level-4, Rs. 25500-81100 in the Pay Matrix
5	Whether Selection post or non Selection post	Non Selection
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment /promotion / deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By Promotion failing which by Deputation
11	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Level-2, Rs. 19900-63200 with 08 (Eight) years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government/ State Government or Union Territories: (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department Or (ii) with 08 years service rendered after appointment to the post on regular basis in the pay level-2 (19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department And (b) (i) Possession of a valid driving license for motor cars. (ii) Knowledge of Motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle)

		(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and (iv) Pass in 10th Standard; and Have Passed the trade test, specified by the Government.
12	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion: 1. Principal Secretary/Secretary(Labour), Govt. of NCT of Delhi- **Chairman** 2. Head of Department concerned, Govt. of NCT of Delhi –**Member** 3. Deputy Secretary(Services) Govt. of NCT of Delhi – **Member** **Note :** Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering promotion / confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Admn)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.08.09 21:55:17 +05'30'